Direction Regarding Solid west management rodes 2016 rulles No(4)

upload on Lsg website

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स – 0141–2222403 ई–मेल –dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट – www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– F55()/CE/DLB/SBM/.2019/ 4993-5193 दिनांक :– 22/02/19

उप निदेशक (क्षेत्रीय) समस्त
आयुक्त, नगर निगम/परिषद, समस्त
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

अति-आवश्यक

विषय :– सॉलिड़ वेस्ट मेनेजमेन्ट नियम 2016 के नियम संख्या 4 की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सॉलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट रूल्स 2016 के नियम संख्या 4 में अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओ के कर्तव्य (Duties of Waste Generators) उल्लेखित है। जिनकी पालना प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता को की जानी आवश्यक है। मुख्य रूप से नियम संख्या 4 के बिन्दु संख्या 4,5,6,7 व 8 में वर्णित निर्देशों की तुरन्त प्रभाव से पालना हेतु शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 15.02.2019 में हुई बैठक में दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त नियम में वर्णित बिन्दु निम्नानुसार है, जिनकी पालना की जानी है।

4(4) कोई भी व्यक्ति 3 कार्य दिवस पूर्व निकाय को सूचित किये बिना किसी भी स्थान पर 100 व्यक्तियों से अधिक का आयोजन आयोजित नहीं करेगा। आयोजक उसी जगह पर अपशिष्ट के पृथ्थकरण की व्यवस्था करेगा ओर पृथक्कृत अपशिष्ट को निकाय के अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा,

4(5) प्रत्येक मार्ग विक्रेता (Street Vendor) जैसे की फल, सब्जी विक्रेता, थड़ी विक्रेता आदि के द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट जैसे की ड़िस्पोजेबल प्लेट, कप, ड़िब्बे, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन आदि। जैविक खाद्य अपशिष्ट प्रयोग के लिए उपयुक्त कचरा पात्र रखेगा ओर ऐसे अपशिष्ट को निकाय के पात्र या वाहन में ड़ालेगा,

4(6) सभी आवास कल्याण और बाजार संघ अपशिष्ट को स्त्रोत पर पृथक करने, अलग–अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुनर्चक्रणीय सामग्री (Recyclable Material) को प्राधिकृत पुनर्चक्रकों (Authorized Recycleres) को सौपना सुनिश्चित करेगें। जैव–अवक्रमणीय अपशिष्ट (Compostable Waste) को परिसर के अन्दर संसाधित, उपचारित और कंपोस्ट करके निपटान किया जायेगा शेष अपशिष्ट निकाय द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओ को दिया जावेगा,

4(7) सभी 5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान अपशिष्ट को स्त्रोत पर ही पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग–अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौपना सुनिश्चित करेगें। जैव–अवक्रमणीय अपशिष्ट का परिसर के अन्दर संसाधित, उपचारित और कंपोस्ट करके निपटान किया जायेगा, शेष अपशिष्ट निकाय द्वारा यथा अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं को दिया जावेगा,

Scanned by CamScanner